

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक 01-11-2017

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्तें तथा अन्य मदों में कुल ₹2,53,86,022/- (दो करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार बाईस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-15.05.17, 35(7)ब दिनांक-20.07.17 एवं 60(7)ब दिनांक-13.09.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्तें तथा अन्य मदों में कुल ₹2,53,86,022/- (दो करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार बाईस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1  
←→

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

( सच्चिदानंद चौधरी ) 31/10/17  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 96(7)A

पटना, दिनांक : 01-11-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं प्र0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव


विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित फाईलेरिया नियंत्रण(विपन्न कोड 20-2210061010002) उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी / पोषाक (13-06)	सामग्री एवं प्रतियाँ (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना	9000000	10800000	9000000	5000	153000	162000	21020000	18622	0	50000	10000	0	0	25000	21123622	250/4.10.17, 226/6.9.17
2	मुंगेर	1000000	1310000	100000	0	17000	18000	2445000	0	20000	10000	5000	0	2000	20000	2502000	201/19.9.17
3	कटिहार	300000	393000	30000	0	5100	5400	733500	0	0	10000	0	3000	0	0	746500	64/2.9.17
4	पूर्वी चम्पारण	400000	528000	40000	0	6800	7600	982400	0	0	10000	0	0	1500	20000	1013900	456/9.9.17
	कुल	10700000	13031000	1070000	5000	181900	193000	25180900	18622	20000	80000	15000	3000	3500	65000	25386022	

(दो करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार बाईस) रू० मात्र

96(7)9  
01-11-17

  
सरकार के विशेष सचिव  
मुंगेर

उपबंध की स्थिति

- 4 -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)					
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	99300000	77350000	10700000	88050000	11250000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	130182000	101238500	13031000	114269500	15912500
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	10579000	7913500	1070000	8983500	1595500
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	433000	300500	5000	305500	127500
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	1706000	1353600	181900	1535500	170500
	योग 20-2210.06.101.0002.01 वेतन	1973000	1421900	193000	1614900	358100
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	244173000	189578000	25180900	214758900	29414100
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	300000	123976	18622	142598	157402
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	200000	135000	20000	155000	45000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	300000	175000	80000	255000	45000
11	दूरभाष (0002-13-03)	90000	45000	0	45000	45000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	50000	25000	0	25000	25000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	30000	15000	15000	30000	0
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	100000	48000	3000	51000	49000
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	66000	62500	3500	66000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	550000	265000	0	265000	285000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	1500000	0	0	0	1500000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	400000	260000	65000	325000	75000
19	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	247960000	190851476	25386022	216237498	31722502

96(F)A

01-11-17

सरकार के विशेष सचिव  
25/11